

From

Shri. Ashok Ganguly
Deputy Secretary
U.P. Govt.

To

Secretary
Central Board of Secondary Education
District Centre, 2 Community Centre
Preeti Vihar, New Delhi.

Education (7)Dept.

Lecknow Dt. August 1995.

Sub. ST. THOMAS SCHOOL, SECTOR 4 LAJPAT NAGAR
SAHIBABAD, GHAZIABAD, AFFILIATION TO THE
CBSE - ISSUE OF NO OBJECTION CERTIFICATE
REGARDING.

Sir,

On the above mentioned subject, I am directed to say that subject to the following condition the State Govt. have No objection in granting affiliation by the C B S C to St. Thomas School, sector-4, Lajpat Nagar, Sahibabad.

- (1) The registration of the society which runs the school will be renewed from time to time.
- (2) A nominee of the Director of Education will be appointed to the Governing Body.
- (3) 10% of the seats will be reserved for children of SC/ST and they will not be charged more than the fees payable by them in the schools run by the Board of Secondary Education, Uttar Pradesh.
- (4) The Institution will not seek recognition from the State Govt. If already recognised by the Board of Secondary Education/ Basic Education Board and the school to affiliated to the CBSE / Council for the Indian School Certificate Examination New Delhi; subsequently, the recognition from the State Govt. will automatically be cancelled from the date of affiliation to the above Board/ Council.
- (5) The teaching and non teaching staff will not be paid the pay and allowances less than that paid to Govt. aided schools.
- (6) The service condition of employees will be made and these condition will be comparable to non-Govt. (aided) Higher Secondary School.
- (7) The institution will follow the instruction issued by the State Govt. from time to time.
- (8) The records of the school will be maintained in the prescribed manner.
- (9) The above conditions will not be altered/reduced or relaxed without the approval of the State Govt.



DIOUS MATHAI

Scanned with CamScanner

ST. THOMAS SCHOOL,
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

- 2
2. It is also stipulated that there are no untrained teachers in the school and the nursery classes are not conducted by the school ^{by the school} is recognised from class I onwards only.
 3. The institution has to strictly follow the above condition and if at any time its found that the institution is not following the above conditions or has deviated or relaxed the above condition, the State Govt. shall with draw the + + above permission.



DM
DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

५५५

संख्या- 3612/15-7-1611291/92.

जी अशोक गांधी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेधा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
कक्षा केन्द्र 2 समूह, केन्द्र,
प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

विषय 171 अनुमान

संख्या: दिनांक:

अगस्त, 1995.

विषय:- तेन्ट वास्तु स्कूल तेन्ट-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, नाबियाबाद को तोड़वाकर तोड़ने, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनायास दुर्घटना पर दिए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

अनुज्ञा विषय पर मुझे यह खबर का निदेश हुआ है कि तेन्ट वास्तु स्कूल तेन्ट-4, लाजपत-
नगर, साहिबाबाद, नाबियाबाद को तोड़वाकर तोड़ने, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनायास दुर्घटना पर दिए जाने में
एत राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवेष्टित नहीं है ।

- 111- विद्यालय को पंजीकृत तोताहटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्त्रिय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहें और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141- संस्था द्वारा राज्य सरकार से जिला अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बालिका शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कॉलेज कार डिप्लोमा स्कूल सर्विफेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी ।
- 151- संस्था के अधिकतम शिक्षा अधिकारियों को राजकीय सेवाय प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से के कर्मचारियों को अनुमति प्रदानमाना तथा अन्य भर्तों से कम प्रदानमान तथा अन्य भर्तों नहीं दिए जायेंगे ।
- 161- कर्मचारियों की सेवाओं का बोझा बोझा बोझा और उन्हें तथाका प्राप्त अनायास उत्पन्न माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति प्रदानमान का लाभ उपलब्ध कराने जायेंगे ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रबन्ध/व्यवस्थाओं में रखा जायेगा ।
- 191- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्राविष्टान के जिला कोई वरिष्ठान्त/परीक्षा या परिषद नहीं किया जाये ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को नही है तथा नही छात्रों विद्यालय में स्थापित नहीं है । यह विद्यालय तथा-1 से मान्य किया जाय ।

---2/-



DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की देर या विचलितता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।

अतः,

अज्ञात मांगी।
उप तथित।

संख्या- 3612111/15-7-1681291/92, तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित दो सुझाव एवं आवश्यकताओं हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ
- 2- महाश्वेत उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
- 3- शिक्षा निदेशक निरीक्षक, नाथियाबाद
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ
- 5- प्रबन्धक, लेनर थॉमस स्कूल, 4 साजवतनगर, नाथियाबाद, नाथियाबाद।

आज्ञा है,

अज्ञात मांगी।
उप तथित।



[Handwritten signature]

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, CHAZIABAD U.P.

प्रेषक,

उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

प्रेषा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
18 पाके रोड,
शिपिर कॉपलिंग,
लखनऊ ।

पत्रांक/मा०/

/93-94 दिनांक: 29/9/93

विषय:- सेंट थॉमस स्कूल, गेजेटरी माध्यम, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद,
गाजियाबाद की सेंट्रल बोर्ड ऑफ एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धित
हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना

महोदय,

निवेदन है कि सेंट थॉमस स्कूल, गाजियाबाद ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सेकेंडरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु
उत्तर प्रदेश शासन से आवेदन पत्र किया है । दिनांक 21/08/1993 को विद्यालय
का स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या संग्रह कर प्रेषित की जा रही है ।

संग्रह:- उक्त पत्र

भवदीय

डा० आर० पी० मथाली
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पु० सं०/मा०/ 19653-55 /93-94 उही तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को तयनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-7, अनुभाग, लखनऊ ।
- 2- प्रबंधक, प्राधानायाय, सेंट थॉमस स्कूल, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद
गाजियाबाद ।

डा० आर० पी० मथाली
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

बोरा/1993



DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

प्रेमक,

उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
18 पार्क रोड,
शिपिर कार्यालय,
लखनऊ।

पत्रांक/मा0/

/93-94 दिनांक: 29/9/93

विषय:- सेंट थॉमस स्कूल, गौरी यादवपुर, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद,
गाजियाबाद को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता
हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना

महोदय,

निवेदन है कि सेंट थॉमस स्कूल, गाजियाबाद ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सेकेंडरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिस जाने हेतु
उत्तर प्रदेश शासन से आवेदन पत्र किया है। दिनांक 21/08/1993 को विद्यालय
का स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या संग्रह कर प्रेषित की जा रही है।

संग्रह:- उक्त पत्र

प्रथमीय

डा0 [आरोपी0द्यानी]
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

पु0सं/मा0/ 1965 5 55 /93-94 उती तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सपनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-7 अनुभाग, लखनऊ।
- 2- प्रबंधक, प्राधानायाय, सेंट थॉमस स्कूल, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद,
गाजियाबाद।

डा0 [आरोपी0द्यानी]
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

बोरो/1993



DI0US MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

प्रिय शाकिर अली जी,

मैं यह प्रार्थना पत्र सेंट थॉमस आपोजिम्स चर्च सोसायटी ॥ रजि०॥ गजियाबाद की सी० बी० एस० इ० से मान्यता के लिए आपके एन० ओ० सी० के लिए प्रेषित कर रहा हूँ, जिसकी फाइल आपकी मान्यता के लिए आपके आफिस में ही है।

सेंट थॉमस स्कूल आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने में समर्थ हूँ और अगर इसे सी० बी० एस० इ० से मान्यता नहीं मिली तो इस करीब 1500 विद्यार्थी व उनके अभिभावक परेशान होंगे।

अतः आशा है कि उपरोक्त स्कूल की सी.बी.एस.इ. से मान्यता के लिए आप शीघ्र ही एन. ओ. सी. प्रदान करेंगे।

धन्यवाद

श्री शाकिर अली,
शिक्षा मन्त्री,
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।

॥ के० सी० त्यागी ॥



DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

17/12/92

संख्या- 3612/15-7-1611291/92.

श्री उशीर माथुली,
उर तपिल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेधा में

तपिल
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जिवा केन्द 2 समुदाय केन्द्र,
प्रतिष्ठित विहार, नई दिल्ली

दिनांक 17/12/92

संख्या: दिनांक: 21 अगस्त, 1992.

विषय:- केन्द्र धातु रक्त केन्द्र-4 साजवतनगर साहिबाबाद, नाजिबाबाद को लीकरीकरण, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कने का निदेश हुआ है कि केन्द्र धातु रक्त केन्द्र-4, साजवतनगर, साहिबाबाद, नाजिबाबाद को लीकरीकरण, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

- 111- विद्यमान की पंजीकृत लीकरीकरण का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
 - 121- विद्यमान की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
 - 131- विद्यमान में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नामित विद्यमान की विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमित रूप से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
 - 141- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यमान माध्यमिक शिक्षा परिषद से/किसी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यमान की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/किसी कक्षा दि. शिक्षण रक्त तदीकित इन्फार्मेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो इस बरीकत परिभाषों से सम्बन्धित प्रमाण होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान तथा: स्वीकृत हो जायेगी ।
 - 151- संस्था के लिए पूर्व नियमित कर्मचारियों की राज्यीय कक्षा प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य पैमानों तथा अन्य भागों से कम जानमान तथा अन्य भागों नहीं दिए जायेंगे ।
 - 161- कर्मचारियों की सेवा की क्वाली जायेगी और उन्हें तथाकथान प्राप्त अनापत्ति उपकरण माध्यमिक विद्यमानों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
 - 171- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
 - 181- विद्यमान का रिजर्व नियमित प्रबन्ध/संविदाओं में रखा जायेगा ।
 - 191- उक्त शांति में राज्य सरकार के प्रानुमोदन के बिना कोई परिकल्पित/संशोधन या परिष्करण नहीं किया जाये ।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होता कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यमान में अनुसूचित आवाधिकारों आवश्यक नहीं है तथा कतरी क्वाली विद्यमान में संशोधित नहीं है । यह विद्यमान को-1 से मान्य किया जाय ।



---2'---

[Signature]

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL

ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार का झूठ या भिन्नता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र तापत में रद्द कर दिया जाएगा।

अधीन,

ह. —

13मई मांगुली।
उप तहसिल।

Principals Sahibabad

Principals

29.2.95

संख्या- 3612111/15-7-1611291/92, तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित दो सुपचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०पु०, लजपत
- 2- मण्डलाध्यक्ष उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
- 3- शिक्षा विभागध्यक्ष निरीक्षक, गांधीबाबाद
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ०पु०, लजपत
- 5- प्रधान, सेंट थोमा स्कूल, 4 लाजपतनगर, गांधीबाबाद, गांधीबाबाद।

जाता है,

ह. —

13मई मांगुली।
उप तहसिल।



Signature

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

संख्या- 3512/12-7-1611291/92.

॥ १ ॥

[illegible]

日期: 1995. 2

[illegible]

उपरोक्त चिन्तन पर मुझे यह कहने का निश्चय हुआ है कि तेन्दू बाघों को खिलाने के लिए जंगल में जाने से बचना चाहिए। बाघों को खिलाने के लिए जंगल में जाने से बचना चाहिए। बाघों को खिलाने के लिए जंगल में जाने से बचना चाहिए।

- [illegible]

[illegible]

● 2 ●

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

3- उक्त प्रतिपत्तियों का वाचन करके बताया है कि प्रतिवार दोपहर और यदि किसी समय यह राखा जाता है कि हरिया द्वारा उक्त प्रतिपत्तियों का वाचन नहीं किया जा रहा है अथवा वाचन करने में किसी प्रकार की देर या बिम्बिता वाली जा रही है तो राख्य करणार द्वारा पुरता अनुरक्ति पुनः यह वाचन के किया जाएगा ।

सादीद,

प्रमुख अधिकारी
उप निदेश

संख्या- 3612911/15-7-1601291/92, सादीदनाम

प्रतिपत्तियों निम्नलिखित की सूचनाव एवं आचार्य आचार्य की संख्या:-

- 1- विद्या विद्या, 3030, 1985
- 2- मन्त्रालय उप विद्या विद्या, 1985
- 3- विद्या विद्यालय विद्यालय, मा विद्यालय
- 4- विद्यालय, उच्च भारतीय विद्यालय, 3030, 1985
- 5- पुनः, केन्द्र बाबा रज्जु, 4 साकलमन, 1985, 1985, 1985, 1985

सादीद,

Signature

प्रमुख अधिकारी
उप निदेश

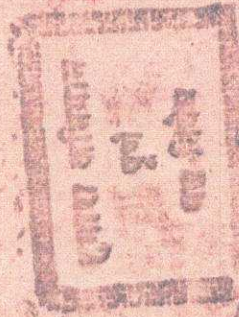
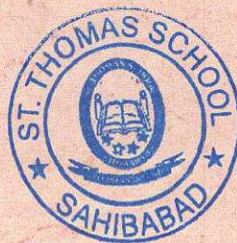


Signature

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

3612/15-2

की सेवा के लिये



श्रीमान
श्रीमान धारमि सिंह
प. जॉन-पत-द्वारा
साहिबगढ़

श्री

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL

ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.